वित्तीय स्वीकृति

संख्या-5/2018/708/52-3-18-बजट(19)/2017

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-3, □□□□: दिनांक 30 मार्च, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य □□□□□□ प्राप्त □□□□ □□□□ मदरसों □□ □□□□ □□□□□/अनुरक्षण □□□□□ □□□□□□ □□प्रथम किश्त की □□□□□ की स्वीकृति □□□□□ए

उपर्युक्त विषयक □ □□□ पत्र □0-6253/□0□0□0□0/□□0□0□□0/2016 दिनांक 26.03.2018 □□संदर्भ में दे□अनुक्रम में ग□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1 □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□- 2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 □□प्रस्तर-2(7) की व्यवस्था के□□□□□ □□□वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य □□□□□□ प्राप्त अ□□□□ □□□□□ मदरसों □□ □□□□ □□□□□/अनुरक्षण □□□□□ □□□□□□ □□प्राविधानित धन□□□□□ रू0 10,00,000/- □□सापेक्ष प्रथम किश्त के□रूप में स्वीकृत रू0 05,00,000/- की □□□□□□ □□सापेक्ष द्वितीय किश्त के□रूप में ह□□□ □□□□□ □□□□□□ रू0 05,00,000/- (रू0 □□□ □□□ मात्र) निम्नांकित शर्तों □□□प्रतिबन्धों के □□□□ स्वीकृत □□□□□□□□व्यय □□□□□□□□□□□□ निवर्तन पर □□□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष स्वीकृति प्रदान □□□□□□-

(1) □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ वास्तविक आवश्यकता □□□□□□□ किया □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/□□□ □□ में □□□ नहीं किया □□□□□

(2) उक्त स्वीकृति □□ शर्त □□ □□□□ □□कि भवनों □□□□ □□□□ इत्यादि □□□□□□उन्हीं मदरसों □□ □□□□□ दिया □□□□, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों □□ ही हों □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ संस्था □□ □□□

(3) □□ वित्तीय स्वीकृतियां जिलों को तत्काल आवंटित □□ दी □□□ □□□ जिलेवार आवंटित □□□□□□ की □□□□ तत्काल □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□

(4) उक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□□ द्वारा □□□□ □□ निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के□ अनुरुप सुनिश्चित किया □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ सापेक्ष □□□□□□□ प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2018 □□ उपलब्ध □□□□ □□□□□

2- उपरोक्त व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □ □-व्ययक □□ □□□□ संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-06-□□□□ □□□□ मदरसों □□ □□□□ □□□□-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

3- □□ □ □□ वित्त विभाग □□ अशासकीय □0-□-11-533/□□-18, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी □□□□□ □□निर्गत किये □□ □□□□□

भवदीय,

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□

संख्या-708(1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हेतु□प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी कै□□□□□ □□□□□

4-कोषाधिकारी ज□□□□ □□□ □□□□/वित्त एवं□लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□ □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-1

7-वित्त (अ□ □ व्ययक) □□□□□-1

आज्ञा □,

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in